

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/2790 /

जबलपुर, दिनांक 03/04/2025

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में पदस्थ कर्मचारियों को कॉलम नं. 3 में उल्लेखित दिनांकों का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है साथ ही कठोर चेतावनी दी जाती है कि उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कं.	कर्मचारियों का नाम एवं पदनाम	दिनांक
1	2	3
1	श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 1, 7, 12, 13, 14, 31.08.24 (6 दिन) दि. 1, 2, 7, 8, 18, 25 से 30.09.24 तक (11 दिन)
2	श्री अशोक बाल्मिक, अशर	दि. 1, 15, 16, 17, 20, 23, 24, 25.08.24 (8 दिन) दि. 1.9.24 से 3.9.24 तक, दि. 10.09.24 से 12.09.24 तक, दि. 17.09.24 से 30.09.24 तक (20 दिन)
3	श्री नारायण, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 01.08.24, 05.08.24, 06.08.24, 09.08.24 से 20.08.24 तक (15 दिन) दि. 01.09.24, 02.09.24, 24.09.24 (3 दिन)
4	श्री जे. अंजनेलू, कोर्ट अटेंडेन्ट	दि. 07.09.24 से 10.09.24 तक, दि. 17.09.24 से 18.09.24 तक (6 दिन)

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक C/2791 /

जबलपुर, दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (आई.टी.-सी.एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्री मुकेश बिरहा, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
6. श्री अशोक बाल्मिक, अशर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
7. श्री नारायण, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
8. श्री जे. अंजनेलू, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)